न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरण सं:—10 प्रवेश दिनांक 25.05.2021 निर्णय दिनांक 05.08.2021

GCMS No 2021/8

उनवान

1.राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ढिगावड़ा तहसील राजगढ जिला अलवर

बनाम

1.गजानन्द पुत्र मंगलराम तहसील राजगढ जिला अलवर

2.छोटी पत्नी नवलकिशोर जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार

3.तोफली पत्नी मनोहरलाल जाति मीना सा0 देह खातेदार

4.दीनदयाल पुत्र मंगलराम जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार

5.ब्रह्मनन्द पुत्र गंगालहरी जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार

6.बाबू पुत्र मंगलराम जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार

7.रामनारायण पुत्र मंगलराम जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार

निवासीयान बाढ़ ढिगावड़ा तहसील राजगढ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में वृतान्त निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का ढिगावड़ा द्वारा ग्राम बाढ ढिगावड़ा के आराजी ख0 नं0 30/0.05 हैक्टेयर में से रकबा 0.03 किस्म जाव 2 एव रकबा 0.02 किस्म चाही 2 खातेदारी कृषि भूमि में गैरसायलान गजानन्द पुत्र मंगलराम तहसील राजगढ जिला अलवर छोटी पत्नी नवलकिशोर जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार तोफली पत्नी मनोहरलाल जाति मीना सा0 देह खातेदार दीनदयाल पुत्र मंगलराम जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार ब्रह्मनन्द पुत्र गंगालहरी जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार बाबू पुत्र मंगलराम जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार रामनारायण पुत्र मंगलराम जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार निवासीयान बाढ़ ढिगावड़ा तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा 0.01 हैक्टेयर भूमि में पक्की दुकान निर्मित कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिना रूपानन्तरण करवाये उपयोग किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया । गैरसायलान सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे। गैरसायलान की अनुपस्थिति पर एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया। गैरसायलान के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृती के कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का उल्लंघन किया है। गैर सायलान द्वारा अपने बचाव में सुनवाई तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने व कोई साक्ष्य सबूत पेश नही करने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया गया।

तहसीलदार

अतः गजानन्द पुत्र मंगलराम तहसील राजगढ जिला अलवर छोटी पत्नी नवलकिशोर जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार तोफली पत्नी मनोहरलाल जाति मीना सा0 देह खातेदार दीनदयाल पुत्र मंगलराम जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार ब्रह्मनन्द पुत्र गंगालहरी जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार बाबू पुत्र मंगलराम जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार रामनारायण पुत्र मंगलराम जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार निवासीयान बाढ़ ढिगावड़ा तहसील राजगढ जिला अलवर के विरूद्व बिना स्वीकृति के ग्राम बाढ़ ढिगावड़ा के आराजी ख0 नं0 30/0.05 हैक्टेयर भूमि में से 0.01 हैक्ट0 पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ पक्की दुकान का निर्माण कर उपयोग करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल कर लगान 0.35 रूपये का पचास गुणा राशि 18.00/– रूपया शास्ति आरोपित की जाती है। वसूली एवं कायमी हेतु पटवारी हल्का व तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावें। चूंकि गैरसायलान का ये कृत्य कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना सक्षम स्वीकृती उपयोग कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तो के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कृषिभूमि शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

आज दिनांक 05.08.2021 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार राजगढ

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

कार्यालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ सं. 20 43 ... 18/-
30A
राशि ... गये।

ल. रा. लेखाकार